

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- बसन्तीलाल
किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- कालु
पत्रावली संख्या : 02/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.05.2024

पत्रावली प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने व पक्षकारान को सूचना जारी किये जाकर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 6 को आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सवना पटवार हल्का सवना, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमावंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 86 की आराजी नम्बर 154, 155, 156 किता 03 रकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

